

2.9.19

पनादली पैरा दुई। वकील वादीगण व लक्ष्य वादीगण हाजीर नही।
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने
पर भी नही वकील वादीगण हाजीर और नही वादीगण
संबंध हाजीर। अतः दावा-घोषनाम, रिमांड दुरदली को
अपना हाजरी अपना पैदा में खारीज किया जाता है।
पनादली कैलवा शुमार होकर नम्बर ले गया हो
न हाजीर दफ्तर हो Handwritten

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (मुन्चुनी)

